

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

जगदेवराम

बनाम

अप्रार्थीगण

महावीरसिंह वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 22 / 2016

तारिख हुगम	हुगम या कार्यवाही इगिरिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुगम की तागील में जारी हुये।
02.2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 एव सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री हरीश पारीक ने पेश कर प्रकरण मे अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु एक पक्षिय बहस सुनने का निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मामल प्रथम दृष्टया पक्ष मे प्रतित होता है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौजा इग्यार के खेत ख.न. 630 भूमि के विवादित रास्ते की जगह कोई निर्माण कार्य नहीं करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार जायल को मौके की जाच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नोटिस जरिये रजि० डाक से भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 09.03.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4 [Signature] (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)</p>	
9/3/16	<p>वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी स. 1 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स. 2 का खतम होने से इनकार होने पर प्राप्त हुका जो तागील माना जाता है अप्रार्थी स. 2 के गेट हाजिर रहने पर खुद-पक्षिय कार्रवाई अमल में लगी जाती है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त तागील दिनांक 09/03/16 को आदेश की कवधि आगामी तारीख पेशी तक बकाई वाली है। दिनांक बकाई जवाब है। दिनांक 11/3/16 से पेश है।</p>	

अप्रार्थीगण कलक्टर
मुकाम जायल (नागौर)

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
12-9-16	<p>पबकार/पबकारान के आधवरता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर काय प्रकृति, इतलिये प्रकृति उनके समक्ष दिनांक 16-9-16 को प्रस्तुत करें।</p>
16-9-16	<p>पबकार/पबकारान के आधवरता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर काय प्रकृति, इतलिये प्रकृति उनके समक्ष दिनांक 23-9-16 को प्रस्तुत करें।</p>
19-10-16	<p>पबकार/पबकारान के आधवरता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर काय प्रकृति, इतलिये प्रकृति उनके समक्ष दिनांक 5-12-16 को प्रस्तुत करें।</p>
5.12.18	<p>पबकार/पबकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर काय प्रकृति, इतलिये प्रकृति उनके समक्ष दिनांक 9.4.18 को प्रस्तुत करें।</p>
9.4.18	<p>पूजापली पैरा डूरी वहुलाप उपर वकील जमीं मे नोटिस सु निवेदन किया कि जमीन पर जो आगे नहीं चलाना चाहिए है शर्तों पर यदि विद्वान स्वामी किता जमीं वकील जमीं के द्वारा नोटिस करने के कारण जमीन पर नोटिस होके से स्वामी किता जाता है पूजापली जम्हाले कम लेवल उपर प्राप्ति हो।</p>

9.4.18
 सा. जम्हाले
 नोटिस देना
 वकील
 09.04.18

वामें
 अर्थी
 नाम
 अप्राप्त
 1.
 2.
 3.
 अन्य
 1
 2